राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 845/2011/बांसवाड़ा

मै0 मंगलम टिम्बर्स,
बांसवाड़ा .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
करापवंचन, बांसवाड़ा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री रतनपाल जैन,
अधिकृत अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा)के अपील संख्या 33/वेट/10–11 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत, बांसवाड़ा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.06.2010 के द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को यथावत रखा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापंवन, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 03.06.2010 को वाहन संख्या जी.जे. 12वाई/9968 को गांधीधाम(कांडला) से बांसवाड़ा साल लकड़ी परिवहन करते वक्त मैसर्स मंगलम टिम्बर दाहोद रोड़ पर चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित जितेन्द्र रोडलाईन्स, गांधीधाम की बिल्टी संख्या 531 दिनांक 1.6.2010, मै0 साधुराम जयप्रकाश, गांधीधाम का बिल नं. 44/1 दिनांक 1.6.2010 तथा घोषणा पत्र वेट 47 नं. 0101241 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषणा पत्र वेट–47 कालातीत था। अतः वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53(7)(सी) का उल्लंघन होने से धारा 76(6) में वाद दर्ज कर पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन वृत बांसवाड़ा को प्रेषित की। वाणिज्यिक कर अधिकारी ने अभियोग दर्ज कर धारा 76(2) सपठित नियम 53(7)(सी) के उल्लंघन होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कर, शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में श्री कान्तिलाल जैन(फर्म मालिक मै0 मंगलम टिम्बर, बांसवाड़ा) ने उपस्थित होकर, लिखित जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, कर

21-9-2015

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी फर्म पर माल की कीमत रू0 3,53,603/– पर 14 प्रतिशत से कर रू0 49,504/–तथा 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 1,06,081/– कुल रू0 1,55,585/–की मांग अपीलार्थी के विरूद्ध कायम की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवहारी ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी– व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा माल साल लकड़ी राज्य के बाहर से आयातीत की जा रही थी। माल के साथ समस्त दस्तावेज मौजूद थे। घोषणा पत्र वेट–47 अवधीपार था जो कि एक तकनीकी भूल थी। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमन्द (2002) 1 आर.टी.आर. पेज 26 में अवधिपार घोषणा पत्र की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। इस संबंध में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो क्रमांक 1211/2000 पर दर्ज होकर, दिनांक 28.06.2000 को खारिज कर दी गई थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी करापवंचन वार्ड–तृतीय, बांसवाड़ा बनाम मै0 एम.सी.प्रोडक्ट्स(ई)लि0, उदयपुर निर्णय दिनांक 03.09.2014 प्रस्तुत करते हुए, अपील स्वीकार करने एवं अवर न्यायालयों के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

मैंनें दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.06.2010 को वाहन संख्या जी.जे.12वाई/9968 को गांधीधाम(कांडला) से बांसवाड़ा साल लकड़ी परिवहन करते वक्त मैसर्स मंगलम टिम्बर दाहोद रोड़ पर चैक किया। वाहन में लदे माल से बिल्टी, बिल तथा घोषणा पत्र वेट 47 नं. 0101241 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि घोषणा पत्र वेट–47 कालातीत था। अपीलार्थी व्यवहारी विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज,

21-9-2015

लगातार.....3

कांकरोली, राजसमन्द (2002) 1 आर.टी.आर.पेज 26 में अवधिपार घोषणा पत्र की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। तथा इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक माना है। उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो क्रमांक 12811/2000 पर दर्ज होकर दिनांक 28.06.2000 को खारिज कर दी गई थी। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों को मध्यनजर रखते हुए, अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है। उक्त अपील में अपीलार्थी ने कर रू0 49,504/–को भी विवादित किया है लेकिन कर बाबत अपीलार्थी व्यवसायी को उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त का फायदा नहीं मिलता है। अतः आरोपित उक्त कर को यथावत रखा जाता है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर शास्ति के बिन्दु पर पूर्णतया लागू होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में शास्ति के बिन्दु की हद तक अपील स्वीकार की जाती है और कर को यथावत रखा जाता है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 15.03.2011 में शास्ति के पुष्ट किये जाने के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा कर की हद तक अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की जाकर कर की हद तक अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

21-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य